10/1/23	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उप० प्रकरण के मूलवाद का निस्तारण हो जाने से प्रा०पत्र को आगे चलाया जाने का कोई औचित्य नहीं होने से (प्रा०पत्र) प्रार्थी के प्रा०पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। प्रकरण में प्रपत्र में जारी एकपक्षीय आवश्यक निषेधाज्ञा (स्टे) निरस्त मानी जावे	[illegible] 10/2/23

पत्रावली फैसल शुमार होकर डण नम्बर से कम हो।

उपखंड [illegible] पदेन

[illegible] करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:18:37 IST
Reason: SelfAttested